(38)

नि/निग० / 2017/3628

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर लिंक कोर्ट रीवा (म०प्र०)

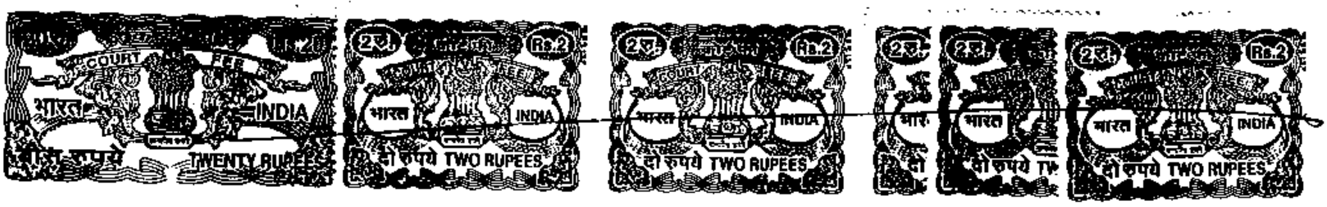

सुनीता सिंह पति धूप सिंह रघुवंशी उम्र 42 साल निवासी ग्राम खारा तहसील रामनगर जिला सतना (म०प्र०) -----निगरानीकर्ता

आवेदिका सुनीता सिंह द्वारा पेश / 03-10-2017

बनाम

1• जवाहर सिंह पिता रामजियावन सिंह उम्र 51 साल पेशा खेती व प्राइवेट नौकरी निवासी ग्राम खारा तहसील रामनगर जिला सतना (म०प्र०)

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर (लिंक कोर्ट) रीवा

2• केवरती पुत्री राम सिंह निवासी ग्राम खारा तहसील रामनगर जिला सतना (म०प्र०) ---गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी विरुद्ध आदेश श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय रामनगर जिला सतना (म०प्र०) अपील क्रमांक 33/अपील/16-17 आदेश दिनांक 29-8-2017

- -

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू० राजस्व संहिता

- -

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है :-

1• यह कि रेस्पाडेन्ट गणो ने अधीनस्थ न्यायालय में तहसीलदार के प्रकरण क्रमांक 41अ6/14-15 आदेश दिनांक 6 28-7-2015 के विरुद्ध अपील अनुविभागीय अधिकारी क्षेत्र रामनगर के यहां प्रस्तुत किया । अपील के साथ धारा 5 का भी आवेदन पत्र प्रस्तुत किया और अपील के विलम्ब के क्षमा हेतु रिलीफ चाहा । यह अपील दो वर्ष के विलम्ब से दायर की गयी थी ।

सुनीता सिंह

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ—अ

प्रकरण क्रमांक III/निग0/2017/3628 जिला—सतना

श्रीमती सुनीता सिंह/ जवाहर सिंह

(1)	(2)	(3)
05/8/19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री राजभान सिंह उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, तहसील रामनगर के प्रकरण क्रमांक 33/अपील/2016—17 में पारित आदेश दिनांक 29.08.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू—राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25.10.19 को कलेक्टर, जिला सतना के समक्ष उपस्थित हो। M (महेशचन्द्र चौधरी), सदस्य	